अनुदान संख्या 85 – जैव प्रौद्योगिकी विभाग
GRANT No. 85 - DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	2222,11,00	2260,12,00	2231,42,14	-28,69,86
पूरक	Supplementary	38,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				20,14,52

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, कुल बचतें (₹2869.86 लाख) जुलाई, 2017 और दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹3801.00 लाख के पूरक अनुदान का 76 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the grant, the overall savings (₹2869.86 lakhs) constituted 76 percent of the supplementary grants of ₹3801.00 lakhs obtained in July, 2017 and December, 2017 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat -Economic Services				
मू.	O.	3000.00	2594.27	2686.66	+92.39
पु.	R.	-405.73			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14536.00			
			..	..	..
पु.	R.	-14536.00			
मुख्य शीर्ष "3425"	Major Head "3425"				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	Other Scientific Research				
मू.	O.	204675.00			
पू.	S.	3801.00	221403.21	220455.48	-947.73
पु.	R.	12927.21			

(I) ₹14536.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" – "अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:–

(I) Provision of ₹14536.00 lakhs remained wholly unutilized in two cases under Major Head "2552"- "Other Scientific Research - Assistance to Other Scientific Bodies"- under the following heads:-

(का) "जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (जिसका नाम बदलकर जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान संसाधन तथा सुविधाएं किया गया)" – ₹14036.00 लाख – पूर्वोत्तर तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण ।

(A) "Biotechnology Research and Development (renamed as Biotechnology Research and Development, Human Resources Development, Research Resources and Facilities)" - ₹14036.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) "औद्योगिक तथा उद्यमिता विकास" – ₹500.00 लाख – वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं के उपयुक्त न पाए जाने के कारण ।

(B) "Industrial and Entrepreneurship Development" - ₹500.00 lakhs - due to projects not found fit for funding.

(II) मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – औद्योगिक तथा उद्यमिता विकास" – ₹19800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1982.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹21782.00 लाख किया

(II) Under Major Head "3425" - "Others - Assistance to Other Scientific Bodies - Industrial and Entrepreneurship Development" - the original provision of ₹19800.00 lakhs was augmented to

गया था, जो, तथापि ईएमबीओ अंशदान को निधियों का अंतरण न किए जाने के कारण ₹688.00 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

₹21782.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1982.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹688.00 lakhs - due to non-transfer of funds towards EMBO Contribution.

(III) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – जैव प्रौद्योगिकी विभाग" – ₹303.72 लाख की बचत (₹2970.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, छुट्टी यात्रा रियायत के लिए कम दावे प्राप्त होने, आपूर्तियों तथा सामग्री के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा संविदाकार द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Department of Biotechnology" - saving of ₹303.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2970.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, receipt of less claims towards leave travel concession, requirement of less funds towards supplies and materials and non-submission of bills by contractor.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹12850.49 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "3425" – "अन्य – अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता – जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास (जिसका नाम बदलकर जैव–प्रौद्योगिकी अनुसंधान तथा विकास, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान संसाधन तथा सुविधाएं किया गया)" के अंतर्गत ₹3801.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹12669.56 लाख था।

2. The above savings were partly (₹12850.49 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹3801.00 lakhs under Major Head "3425" - "Others - Assistance to Other Scientific Bodies - Biotechnology Research and Development (renamed as Biotechnology Research and Development, Human Resources Development, Research Resources and Facilities)". Actual excess, however, was ₹12669.56 lakhs.